

① ADM STS
② AII ERDS
③ AII AERDS
28/11/18

ईमेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक : प.3(3)(1)रोल्स / निर्वा / 2nd SSR 2018/2018 / 6571

जयपुर, दिनांक : 27-9-2018

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : निदेशक
स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
जयपुर।

विषय : विधानसभा आम चुनाव-2018 अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान दिनांक 28 सितम्बर, 2018 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का वार्ड सभा की बैठक में पठन करना।

प्रसंग :- भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/RJ/2018/NS-1 दिनांक 25 सितम्बर, 2018


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 28 सितम्बर, 2018 को किया जा रहा है। अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का प्रयोग आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान किया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह वर्ष चुनावी वर्ष होने के कारण दिनांक 28.09.2018 को अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूचियों का पठन एवं प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं की बैठक में करने के निर्देश दिये गये हैं। अतः दिनांक 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली बैठक निरन्तर 3-4 अक्टूबर तक आयोजित की जाये, जिससे वार्ड सभा की बैठक में अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का पठन किया जाकर वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

अतः निवेदन है कि आप अपने विभाग के अधीन स्थानीय निकायों को निर्देशित करने का श्रम करें कि वे दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 एवं दि. 3 व 4 अक्टूबर, 2018 को सायंकाल 4.00 से रात्रि 8.00 बजे तक निरन्तर आयोजित वार्ड सभाओं की बैठक संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी से समन्वय कर आयोजित करने में सहयोग प्रदान करें ताकि मतदाता सूचियों का पठन किया जाकर पात्र व्यक्तियों से आवेदन प्राप्त किये जा सकें।

www.rajteachers.com


(डॉ. रेखा गुप्ता)
अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.3(3)(1)रोल्स / निर्वा / 2nd SSR 2018/2018 /
प्रतिलिपि :-

जयपुर, दिनांक :

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. अति० निजी सचिव, अति० मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आर./जे. राजस्थान।
3. रागरत जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर्स) राजस्थान।

11
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।